



संख्या- 42 /2026/I/ 1267269 /2026/71-1002/30/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उOप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/482, दिनांक 16.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल ₹0 35.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-45-डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए स्थापित नर्सिंग कालेज के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल ₹0 21.00 लाख (₹0 इक्कीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (निम्नानुसार एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिOशिO का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2210051050345 (डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050345 डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ANAND KUMAR TRIPATHI (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
Date: 16-03-2026 संयुक्त सचिव।
13:47:15

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-001-71-1002-30-2023

विषय:- कालेज आफ नर्सिंग कानपुर हेतु विभिन्नक मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वी कृत किये जाने के सम्बन्ध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय व
2210051050345 031	(डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)	1,50,00,000	35,00,000	35,00,000	21,00,000	1,29,00,000	2025-20
		(मंहगाई रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)	रुपये पैंतीस लाख मात्र	रुपये पैंतीस लाख मात्र	रुपये इक्कीस लाख मात्र	रुपये एक करोड़ उनतीस लाख मात्र	
कुल				₹ 35,00,000	₹ 21,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
2210051050345 031	(डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)	42 (अन्य व्यय)	1,60,000	10,00,000	5,00,000	6,60,000	2025-2026
			रुपये एक लाख साठ हजार मात्र	रुपये दस लाख मात्र	रुपये पाँच लाख मात्र	रुपये छह लाख साठ हजार मात्र	
2210051050345 031	(डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)	29 (अनुरक्षण)	8,00,000	7,00,000	7,00,000	15,00,000	2025-2026
			रुपये आठ लाख मात्र	रुपये सात लाख मात्र	रुपये सात लाख मात्र	रुपये पन्द्रह लाख मात्र	
2210051050345 031	(डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	50,000	8,00,000	4,00,000	4,50,000	2025-2026
			रुपये पचास हजार मात्र	रुपये आठ लाख मात्र	रुपये चार लाख मात्र	रुपये चार लाख पचास हजार मात्र	
कुल				₹ 35,00,000	₹ 21,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050345 (डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)	08 (कार्यालय व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,50,000 रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 35,00,000	₹ 21,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 06.10.2025 द्वारा अवगत कराया है कि मानक मद 03-महंगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹0 35.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.12.2025 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद 08-कार्यालय व्यय में ₹0 10.00 लाख, मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में ₹0 8.00 लाख, मानक मद 29-अनुरक्षण में ₹0 7.00 लाख तथा मानक मद 42-अन्य व्यय में ₹0 10.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 35.00 लाख की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-432-E-3-1-X-2025-26-दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,

(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,

उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

(कपिल देव भारती)

संयुक्त सचिव।

उप सचिव।

संख्या : / , , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ
3. प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग कानपुर
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से



(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव